

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-06.09.2026

थाना कोतवाली पुलिस व सरिलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के संदर्भ में दर्ज मुकदमें में प्रताड़ना व ब्लैकमेलिंग करने वाले संबंधित तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर एक बोलेरो गाड़ी व तीन अदद मोबाइल किया गया बरामद।

थाना कोतवाली पुलिस व सरिलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के संदर्भ में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 387/2026 धारा 108, 3(5) BNS से संबंधित 03 अभियुक्तगण यथा क्रमशः 1- प्रियंका चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी 2- रामनयन चौधरी पुत्र संपत चौधरी 3- विजय प्रकाश पुत्र भरतराम को दिनांक- 06.09.2026 समय करीब 07:55 बजे सदर अस्पताल से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1-एक बोलेरो गाड़ी व 2- तीन अदद मोबाइल बरामद कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- प्रियंका चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी निवासी बावनपार थाना पैकोलिया जनपद बस्ती हाल मुकाम पुत्र रामनयन चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
- 2- रामनयन चौधरी पुत्र संपत चौधरी निवासी गंधार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
- 3- विजय प्रकाश पुत्र भरतराम निवासी पिपरा काजी थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक बोलेरो गाड़ी नं0-UP51BN5805।
- 2- तीन अदद मोबाइल।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के द्वारा बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अपने सरकारी आवास में दिनांक-29.08.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या किये जान के प्रकरण में उनके पुत्र श्री संदीप सिंह पुत्र स्व0 सूर्यप्रकाश सिंह निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ (उ0प्र0) द्वारा थाना कोतवाली पर दिनांक: 05.09.2026 प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-387/2026 धारा-108, 3(5) BNS बनाम 1- प्रियंका चौधरी पत्नी महेन्द्र चौधरी 2- रामनयन चौधरी पुत्र संपत चौधरी 3- विजय प्रकाश पुत्र भरतराम के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के क्रम में नामित अभियुक्तगण 1- प्रियंका चौधरी आदि तीन नफर उपरोक्त को 1- एक बोलेरो गाड़ी नं0-UP51BN5805 के साथ दिनांक-06.09.2026 को अस्पताल चौराहा बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि पूर्व थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह के आत्महत्या के प्रकरण में मुख्य आरोपी 1-प्रियंका चौधरी पुत्री रामनयन चौधरी का उसके पति से 10 साल पहले से ही अलगाव हो गया है। वह मुम्बई में रहकर ब्यूटी पार्लर व स्पा सेन्ट्रो में काम करती है एवं पैसे वाले व्यक्तियों को अपने शारीरिक मोह-जाल में फंसाकर उनका वीडियो-आडियो बनाकर उनको हनी ट्रैप के जरिये वाट्सएप/ वीडियो काल या चैटिंग के माध्यम से ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड की जाती थी एवं अपने जाल में फंसाये हुए ग्राहको को वीडियो काल पर अपने हाथ का नश काटकर खून निकलता हुआ दिखाकर भावनात्मक रूप से भयभीत कर मोटे रकम की धनउगाही की जाती थी, जिसके काम में पिता रामनयन चौधरी, वकील विजय प्रकाश यादव भी वखुबी साथ देते थे। एक सूनियोजित साजिश के तहत अभियुक्ता के पिता व वकील द्वारा हनी ट्रैप में फंसाये गये व्यक्तियों से वसूली करने में भूमिका निभायी जाती थी जिसके लिए उसे भी हिस्सा मिलता था। थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा किये गए जांच से अभी तक इस ग्रुप द्वारा कुल चार लोगो को हनी ट्रैप कर भारी धनराशि उगाहने का विवरण प्राप्त हुआ है जो निम्नवत हैं-

- 1- डा0 उमेश पुत्र उमापति निवासी पुरैना थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती (हनीट्रेप कर 04 लाख की उगाही)।
- 2- अहमद रजा पुत्र नऊम निवासी जमदाशाही थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती (हनीट्रेप कर 05 लाख की उगाही)।

3- आर्यन दिक्षित उर्फ जितेन्द्र दिक्षित पुत्र विनोद दिक्षित मकान नं0.372 करीम सेठ चावल राजाराम वेन मार्ग घाट कोपर ईस्ट जबलपुर मध्य प्रदेश (हनीट्रेप कर 15 लाख की उगाही) |

4- स्व0 सूर्य प्रकाश सिंह पूर्व थानाध्यक्ष वाल्टरगंज जनपद बस्ती |

इसके अलावा दर्जनो लोग जो इसके शिकार हुए है उसके सम्बन्ध में अभी जांच प्रचलित है। करीब दो वर्ष पूर्व लोगो को हनी ट्रेप में फंसा कर उनसे पैसे वसूलकर 1-प्रियंका चौधरी ने एक बोलेरो गाड़ी खरीदा था जिसके ड्राइवर अहमद रजा को भी बाद में हनी ट्रेप के माध्यम से ब्लैकमेल कर धन उगाही की थी। इसी क्रम में यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त महिला एवं इसके पिता जिस घर में किराए पर रहते थे उसके मकान मालिक डॉ० उमेश को भी उपरोक्त महिला द्वारा हनी ट्रेप कर ब्लैकमेल कर धन उगाही किया गया |

गौरतलब है कि उपरोक्त महिला एवं इसके पिता द्वारा की जाने वाली सभी कानूनी कार्यवाहियों में ग्रुप के अहम सदस्य 3-विजय प्रकाश पुत्र भरतराम यादव का योगदान तीव्र सहयोग षड्यंत्र को प्रभावी बनाने के लिए रहता था |

इलेक्ट्रॉनिक उपागमों के विश्लेषण में यह बात पुख्ता हुई है कि थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह का संपर्क उपरोक्त महिला एवं उसके साथी विजय से स्थापित हुआ है। घटना वाले दिन के कॉलिंग पैटर्न ने इसको और बल प्रदान किया है। विजय द्वारा ही थानाध्यक्ष वाल्टरगंज स्व0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह को समय 13:41 बजे अंतिम काल की गयी थी, जिन प्रताड़नाओं से तंग आकर थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बृजानन्द सिंह जनपद बस्ती |
- 2- प्रभारी चौकी जेलगेट उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती |
- 3- प्रभारी चौकी रोडवेज उ0नि0 जयविन्द सिंह थाना कोतवाली जनपद बस्ती |
- 4- प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0शेषनाथ यादव जनपद बस्ती |
- 5- हे0का0 देवेश, का0 किशन सिंह, का0 संतोष कुमार सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |
- 6- का0 स्कन्द यादव, का0 राकेश यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

